समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा
सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

NIPUN BHARAT

रसोईया चयन/ नवीनीकरण कार्यवाही पंजिका

U-DISE Code -

विद्यालय का नाम...

....

विकास खण्ड........................... जनपद.............................

प्राप्ति स्थान

अध्यापक परीक्षा परिषद

निकट- चित्रशाला टाकीज (डा. अखिलेश क्लीनिक)सफदर मार्केट, बहराइच-271801
Mob.: 9454023786 9721220786
Email.: adhyapakparikshaparishad0786@gmail.com

!! शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन !!

आओ पढ़ाएं सबको बढ़ाएं

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

रसोईया चयन/ नवीनीकरण कार्यवाही पंजिका

शैक्षिक सत्र - 2026 - 2027

U-DISE Code-

विद्यालय का नाम...

....

विकास खण्ड.......................... जनपद.....................................

प्राप्ति स्थान

अध्यापक परीक्षा परिषद

निकटः- चित्रशाला टाकीज, सफदर मार्केट, बहराइच-271801
Mob.: 9454023786, 9721220786
Email.: adhyapakparikshaparishad0786@gmail.com

अध्यापक परीक्षा परिषद A.P.P. बहराइच-271801

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

203/9, नबीउल्लाह रोड़, लखनऊ

फोन नं0-0522.2614721 ई मेल-lkomdm@gmail.com वेब साइट- www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0 / /2026–27 दिनांक 09-04-2026

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–पी0एम0 पोषण / मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत प्रदेश के रसोइयों का नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1235 / अड़सठ–3–2019–143 / 2019 दिनांक 14 अगस्त, 2019 एवं संख्या–1325 / अड़सठ –3–2019–143 / 2019 दिनांक 26 सितम्बर, 2019 **(छायाप्रतियाँ संलग्न)** निर्गत है, जिनमें रसोइयों के नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

गत वर्षों में प्राधिकरण में रसोइयों से सम्बन्धित प्राप्त कतिपय शिकायतों के परीक्षण में यह परिलक्षित हुआ है कि संशोधित शासनादेश दिनांक 14.08.2019 व 26.09.2019 में वर्णित व्यवस्था एवं निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

चूंकि नवीन सत्र प्रारम्भ हो रहा है, अतः नवीनीकरण की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2019 एवं 26.09.2019 पुनः इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(मोनिका रानी)
निदेशक

पृ0संख्याः म0भो0प्रा0 / C-57 / 2026–27 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।

(मोनिका रानी)
निदेशक

संख्या–1235/अड़सठ–3–2019–143/2019

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

DD-I 16/8/19 DD II 16/8/19 ADD(A) 16.08.19 DD-II

शासन-272 UDM

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2019

विषयः–प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों में कार्यरत रसोईयों का नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0/93/2019–20 दिनांक–11.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोईयों के चयन से संबंधित शासनादेश संख्याः–435(1)/79–6–10 दिनांक 24.04.2010 में प्रावधानित व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि विद्यालयों में कार्यरत रसोईयो की सेवाएं यदि संतोषजनक हैं, तो उन्हीं रसोईयों की सेवाओं का नवीनीकरण आगामी शैक्षिक–सत्र के लिए भी कर दिया जायेगा। किसी कारण विद्यालय में कार्यरत रसोईयों का पद रिक्त होने पर उसके स्थान को भरने हेतु नवीन चयन संबंधी कार्यवाही उक्त शासनादेश दिनांक–24.04.2010 में अंकित सुसंगत प्राविधानानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3– रसोईयों की सेवाओं के संतोषजनक अथवा असंतोषजनक होने का निर्धारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा रसोईया के वर्ष भर के कार्यो से असंतुष्ट होने की स्थिति में सम्प्रति प्रभावी प्रकियानुसार ही रसोईया का नवीन चयन किया जायेगा। रसोईये के कार्यो से असंतुष्ट होने की स्थिति में सम्बन्धित रसोईये को ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा समय–समय पर लिखित एवं सकारण चेतावनी/नोटिस निर्गत किया जाना अपरिहार्य होगा। रसोईये को सम्बन्धित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा लिखित एवं सकारण चेतावनी/नोटिस निर्गत करने एवं सुसंगत साक्ष्य आदि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् लगाये गये आरोपों के सिद्ध होने की स्थिति में ही उसकी सेवाओं को असंतोषजनक समझा जायेगा। रसोईये की सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा उसको समय–समय पर उक्तानुसार लिखित एवं सकारण चेतावनी/नोटिस निर्गत न किये जाने और इस संबंध में कोई सुसंगत साक्ष्य इत्यादि उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित रसोईये की सेवाओं को असंतोषजनक नहीं समझा जायेगा।

4– रसोईयें उस अवधि तक ही कार्य करेंगे जब तक उनका कम से कम एक बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा हो।

5– उक्त शासनादेश दिनांक–24.04.2010 की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1235(1)/अड़सठ–3–2019–143/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
4– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ/निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ/निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उ0प्र0/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज, उ0प्र0/अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 प्रयागराज, उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
8– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
11– वित्त (व्यय–नियत्रंण), अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन।
12– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

संख्या–1325 / अड़सठ–3–2019–143 / 2019

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2019

विषयः–प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों में कार्यरत रसोईयों का नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0 / 1341 / 2019–20 दिनांक–21.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों में कार्यरत रसोईयों के नवीनीकरण से संबंधित शासनादेश संख्याः–1235 / अड़सठ–3–2019–143 / 2019, दिनांक–14.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के बिन्दु सं0–4 को तत्काल प्रभाव से विलोपित / निरसित किया जाता है।

3– उक्त शासनादेश संख्याः–1235 / अड़सठ–3–2019–143 / 2019, दिनांक–14.08.2019 की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1325 (1) / अड़सठ–3–2019–143 / 2019 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
4– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 / राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ / निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ / निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उ0प्र0 / सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज, उ0प्र0 / अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 प्रयागराज, उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
8– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
11– वित्त (व्यय–नियत्रंण), अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन।
12– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 4350/79–6–10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांकः 24 अप्रैल, 2010

विषयः प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके–पकाये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोईये का चयन एवं नियत मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई0सी0जी0आई0 केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0एन0ओ01–1/2009–डेस्क(एम0डी0एम0) दिनॉक–24.11.09 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू0 1000/– की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, वार्ड शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूह से आच्छादित विद्यालयों तथा एन0जी0ओ0 द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में रसोईये की संख्या हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

कम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301–1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोईये के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोईये के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जायेगा। रसोईये के मानदेय हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि/वार्ड शिक्षा निधि के खाते में भेजी जायेगी। जबकि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एन0जी0ओ0 तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में यह धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं के खाते में भेजी जायेगी।

3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये का चयन शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनॉक–25 जून,04

(छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। रसोईये के चयन हेतु चयन की प्रकिया, चयन हेतु अर्हता एवं निष्कासन की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

रसोईये का चयन उपरोक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4/1/2001–कार्मिक–2 दि0 25.06.2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा –

1– अनुसूचित जाति
2– अनारक्षित
3– अन्य पिछड़ा वर्ग
4– अनारक्षित
5– अनुसूचित जाति
6– अनारक्षित
7– अन्य पिछड़ा वर्ग

तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोईया अनुमन्य होने की स्थिति में एकल पद होने के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा।

4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अभ्यािर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यकता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी के परित्यकता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

रसोईये के चयन के लिए यह आवश्यक नही है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोईये का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जायेगा। किसी विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले रसोइयों में से शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक के अनुसार अनुमन्य रसोईये की संख्या के दो गुना रसोइयों का पैनल तैयार किया जायेगा। किसी रसोईयें के बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी विद्यालय दिवस में अनुपस्थित होने पर इस पैनल की प्रतीक्षा सूची में से रसोईये को अनुपस्थित रसोईये के कार्य पर वापस आने तक लगाया जा सकेगा। इस रसोईये को प्रतिदिन रू0 45 की दर से मानदेय देय होगा जो कि अनुपस्थित रसोईये के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसे अतिरिक्त रसोईये को किसी माह विशेष में अधिकतम रू0 1000 का ही मानदेय अनुमन्य होगा अर्थात किसी माह विशेष में 23 व इससे अधिक विद्यालय दिवस होने की स्थिति में रू0 1000 मानदेय ही दिया जायेगा।

5. रसोईयों का चयन करने वाली ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि मध्यान्ह भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित होने, किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्ति–युक्त कारण, जिसके कारण चयन समिति भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के हित में रसोईये से कार्य लेना उचित न समझे, के विद्यमान होने की स्थिति में रसोईये को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अगले अभ्यर्थी को रसोईये के काम पर लगा सकेगी। ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोईये के निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी।

इस संदर्भ में वर्ष 2010–11 हेतु रसोईयों के चयन के लिए विज्ञापन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर से दि0 27.04.2010 तक प्रकाशित किया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दे दिये जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित मानको के आधार

ग्राम पंचायत/वार्ड समितियों के माध्यम से योजना से आच्छादित विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में रसोईयो की संख्या विद्यालयवार निर्धारित करते हुए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सभासद को संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संसूचित करें। इस संख्यात्मक विवरण को मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट परं भी अपलोड कर दिया जाय, जिससे इच्छुक सामान्यजन इस विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकें। ग्राम पचायत और वार्ड सभासद के स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय संसाधनों यथा डुगडुगी आदि का भी प्रयोग किया जाये, ताकि सभी अर्ह अभ्यर्थियों को रसोईये के चयन के संबंध में उपलब्ध रिक्तियों आदि की जानकारी हो सके।

6. वर्ष 2010–11 के बाद आगामी प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए चयन विगत शिक्षा सत्र समाप्त होने के पूर्व अप्रैल से मई माह में कर लिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जायेगा। जिसमें अर्ह अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 10 दिन का समय प्रदान करते हुए विज्ञापन में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के सदस्य सचिव (सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक) के पास आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि भी अंकित कर दी जाये(आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक–1)। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाये कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त उसको पावती रसीद दी जायेगी। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत तिथि के अपराह्न 5.00 बजे तक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु लगाये गये ड्राप बाक्स में अपना आवेदन डाल सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदन पत्रों को आगामी 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरान्त ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा आगामी 1 सप्ताह के अन्दर रसोईये के चयन की कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा समिति के सदस्य सचिव द्वारा इसकी लिखित सूचना विलम्बतम् 7 मई तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरूद्ध सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर अपील का निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

सहायता प्राप्त विद्यालयों, मकतब/मदरसों, स्वयं सहायता समूह तथा एन0जी0ओ0 द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में रसोईये का चयन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के ऊपर चयन प्रक्रिया संबंधी उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

क्र/ख्र,

संख्या–1195/अड़सठ–3–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 4 अक्टूबर, 2019

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा शासनादेश सं0–1705/68–5–2018 दिनांक–22.11.2018 निर्गत किया गया है, जिसके कारण रसोईयों की संख्या के संबंध में पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

वर्तमान में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोइया चयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 प्रभावी है, जिसके प्रस्तर–2 में विद्यालय में रसोइयों की संख्या हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैः–

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोइयों की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301 से 1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

2– उपर्युक्त संदर्भित संविलियन शासनादेश दिनांक–22.11.2018 प्रभावी होने के कारण कार्यरत रसोईयों की संख्या में कमी/वृद्धि होने के दृष्टिगत कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन एवं रसोईयां जन कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा विद्यालय के संविलियन उपरान्त कार्यरत रसोईयों के नवीनीकरण/हटाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने के अनुरोध किया गया है।

3– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन पाया गया हैः–

(क) संविलियन के उपरान्त विद्यालयों की संख्या में कमी आने की दशा में कार्यरत रसोइयों की संख्या के पुनर्निर्धारण की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त रसोइयों की संख्या का निर्धारण शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार रसोइये का चयन सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से किए जाने का प्राविधान है। अतः संविलियन के उपरान्त शासनादेश द्वारा रसोइयों की अनुमन्य संख्या से अधिक रसोइया

कार्यरत होने की स्थिति में सर्वप्रथम उस अतिरिक्त रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिनका पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही किए जाने की स्थिति के उपरान्त भी यदि अतिरिक्त रसोइया कार्यरत हैं, तो उक्त स्थिति में सबसे बाद में चयनित रसोइया (Last in First Out) को कार्य से विरत किया जाएगा।

(4) ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक रसोइया एक साथ अथवा एक सत्र में चयनित की गयी हों और उनमें से किसी एक को कार्य से विरत किया जाना हो, तो उस रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिसकी आयु कम होगी।

(5) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित है कि अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी एवं विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः कार्यरत रसोइया, जो विधवा अथवा परित्यक्ता हैं, यथा सम्भव कार्य से विरत न किया जाय।

(6) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के कारण कार्यरत रसोइयों के नवीनीकरण के समय संख्या पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) विद्यालयों के संविलियन की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के समय निम्नवत् सावधानियाँ भी विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त विद्यालय के 'मध्यान्ह भोजन निधि' हेतु एक ही बैंक खाते का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तद्विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत की दर भिन्न होने के कारण मध्यान्ह भोजन ग्रहण किए जाने से सम्बन्धित रिकार्ड एमडीएम की दो अलग–अलग पंजिकाओं यथा–कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा–6 से 8 हेतु पृथक–पृथक रखा जाएगा।

(3) संविलियन विषयक कार्यवाही पूर्ण किये जाने तक विद्यालयों के संविलियन विषयक बिन्दु को टास्क फोर्स की बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया जाय।

(4) बच्चों को निर्धारित मात्रा में मेन्यू के अनुसार गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) योजना से सम्बन्धित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण (बर्तन, किचन उपकरण, एल0पी0जी0, कन्टेनर आदि) एक पंजिका में अंकित (स्टॉक इन्ट्री) कर लिया जाय। उक्त स्टॉक इन्ट्री का शतप्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) संविलियन किए गये विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण करते हुए शासनादेश द्वारा निर्देशित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ग) शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

2/3

संख्या–1195(1)/अड़सठ–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
4. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. समस्त, मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
14. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2/नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

रसोईया चयन समिति गठन, बैठक एजेण्डा

1. मा. ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत.. (अध्यक्ष)
2. ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत महिला अभिभावक सदस्य
   1. 2.
3. ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत पुरूष अभिभावक सदस्य
   1. 2.
4. विद्यालय प्रबन्ध समिति के समस्त पदाधिकारी / सदस्यगण

आप सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक.............................. को प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय.. विकास खण्ड.. जनपद............................ की रसोइया समिति के पुनर्गठन हेतु एक अति आवश्यक बैठक प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय.. विकास खण्ड.. जनपद...................... के प्रांगण में........... बजे आहूत की गयी है जिसमें आप समस्त की उपस्थिति अनिवार्य है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य–सचिव

क्र.सं.	पदाधिकारी / सदस्य का नाम	पद	हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा
1.		मा. ग्राम प्रधान	
2.		महिला अभिभावक सदस्य	
3.		महिला अभिभावक सदस्य	
4.		पुरूष अभिभावक सदस्य	
5.		पुरूष अभिभावक सदस्य	
6.		अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति	
7.		सदस्य	
8.		सदस्य	
9.		सदस्य	
10.		सदस्य	
11.		सदस्य	
12.		सदस्य	
13.		सदस्य	
14.		सदस्य	
15.		प्रधानाध्यापक/ सदस्य सचिव	

रसोईया चयन समिति गठन कार्यवाही

आज दिनांक .... पूर्वान्ह / अपरान्ह .... बजे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद .... के प्रांगण में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार माननीय ग्राम प्रधान महोदय के अध्यक्षता में शासनादेश के अन्तर्गत रसोईया चयन समिति / भोजन समिति का गठन प्रस्ताव प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान के समक्ष रखा गया तथा प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त शासनादेशानुसार निम्न प्रकार रसोईया चयन समिति का गठन किया जाना है।

1– माननीय ग्राम प्रधान – अध्यक्ष

2– माननीय ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों। – सदस्य

3– दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो माननीय ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीति होंगे। – सदस्य

4– विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक – सदस्य– सचिव

माननीय ग्राम प्रधान / अध्यक्ष महोदय द्वारा शासनादेश के अनुपालन में निम्नानुसार रसोईया चयन समिति का गठन किया गया।

1– माननीय ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

कु0 / श्री / श्रीमती ....

2– महिला अभिभावक सदस्य–

1– श्रीमती .... 2– श्रीमती ....

3– पुरूष अभिभावक सदस्य–

1– श्री .... 2– श्री ....

4– सदस्य–सचिव / प्रधानध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक–

कु0 / श्री / श्रीमती ....

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ....
न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....
जनपद ....

रसोईया चयन एजेण्डा

सेवा में,

1– माननीय ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

कु0 / श्री / श्रीमती ....

2– महिला अभिभावक सदस्य–

1– श्रीमती .... 2– श्रीमती ....

3– पुरूष अभिभावक सदस्य–

1– श्री .... 2– श्री ....

महोदय / महोदया,

आप सभी से सादर अनुरोध है कि श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद .... के आदेश संख्या .... दिनांक .... के द्वारा वर्ष– 202 – 202 हेतु रसोईया चयन करने के निर्देश दिये गये हैं। नियमानुसार विद्यालय की कुल छात्र संख्या...................... हेतु रसोईया का चयन किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक .... को पूर्वान्ह / अपरान्ह. .... बजे विद्यालय के प्रांगण में एक बैठक आहूत की गई है। जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

अस्तु आप से अनुरोध है कि ससमय बैठक में उपस्थित होकर रसोईया चयन कराये जाने का कष्ट करें।

दिनांक ....

हस्ताक्षर अध्यक्ष
सम्मानित सदस्यगण

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव
प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ....
न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....
जनपद ....

रसोईया चयन हेतु कार्यवाही

आज दिनांक .... पूर्वान्ह / अपरान्ह .... बजे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद .... के प्रागंण में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार माननीय ग्राम प्रधान महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई।

श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश संख्या .... दिनांक .... के क्रम में विद्यालय में कुल अध्ययनरत छात्र/छात्राओं संख्या .... हेतु वर्ष– 202 – 202 हेतु कुल .... रसोईयों के नवीनी करण/ चयन का प्रस्ताव किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर चयन किया गया जो रसोईया चयन पत्रों की तालिका के अनुसार प्रारूप–2 एवं रसोईया चयन प्रपत्र पर संलग्न है सर्वसम्मत से चयन कर प्रस्तावित किया गया।

अन्त में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रधानाध्यापक अपने स्तर से कार्य प्रारम्भ करायें तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर आज की बैठक सम्पन्न की गई।

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय ....
न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....
जनपद ....

रसोइया चयन सम्बन्धी प्राप्त आवेदन पत्र

क्र0 सं0	रसोईया/आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	जाति	विधवा/परित्यक्ता	पता	आवेदक से सम्बन्धित छात्र का नाम	कक्षा	सम्बन्ध	आवेदन प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक
प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय ....
न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....
जनपद ....

ik : i&2

'kf{kd l= 202 &202

रसोइया चयन सम्बन्धी प्रस्ताव

प्राप्त आवेदन पत्रों (प्रारूप1) पर चयन समिति द्वारा विचारोपरान्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद .... में रसोइया हेतु निम्नलिखित का नाम शैक्षिक सत्र के लिए प्रस्तावित/चयनित किया गया।

क्रम सं.	नाम	पिता/पति	वरीयता का कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

हस्ताक्षर रसोइया चयन समिति :

1. महिला सदस्य -
2. महिला सदस्य -
3. पुरूष सदस्य -
4. पुरूष सदस्य -

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

रसोइया चयन प्रपत्र

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद ....

क्रम सं.	रसोईया का नाम	पिता/पति का नाम	वैवाहिक स्थिति	जाति	पाल्य का नाम	कक्षा	रसोईया से सम्बन्ध	बैंक का नाम व शाखा	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	मोबाइल नम्बर
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक
प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन विद्यालय ....
न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....
जनपद ....

चयनित रसोइयों की सूची (रसोइया चयन–प्रपत्र)

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद ....

क्रम सं.	रसोईया का नाम	पिता / पति का नाम	वैवाहिक स्थिति	जाति	पाल्य का नाम	कक्षा	रसोईया से सम्बन्ध	बैंक का नाम व शाखा	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	मोबाइल नम्बर
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											

अवमोचक रसोइयों की सूची

क्रम सं.	रसोईया का नाम	पिता / पति का नाम	वैवाहिक स्थिति	जाति	पाल्य का नाम	कक्षा	रसोईया से सम्बन्ध	बैंक का नाम व शाखा	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	मोबाइल नम्बर
1.											
2.											
3.											

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक